"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर 2009—भाद्र 26, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

आदेश

क्रमांक 6526/2254/21-ब/छ. ग./09.—राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहरित करते हुए उक्त न्यायाधीशों को सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थ करती है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	न्यायालय का नाम (3)
1.	श्री इन्दर सिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर
2.	श्रीमती माधुरी कातुलकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.

Raipur, the 17th September 2009

ORDER

No. 6526/2254/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State of Chhattisgarh hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh withdrawing the services of the members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule, from High Court, appoints them Judge of the Family Courts specified in column No. (3) they are directed to take over the charges in the Family Court.

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri Inder Singh Uboweja, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa	Principal Judge, Family Court, Raipur
2.	Smt. Madhuri Katulkar, Principal Judge, Family Court, Raipur	II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.